न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र 6ए/04/2022

सरकार जरिये जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना सेवर जिला भरतपुर .....प्रार्थी

बनाम

1—ओमप्रकाश पुत्र राजपाल जाति बघेल उम्र 29 साल निवासी बहादीन पोस्ट उधर राया मथुरा पुलिस थाना मांट (उत्तर प्रदेश)
2—विनोद तेवतिया पुत्र लाखनसिह जाति जाट उम्र 22 साल निवासी मैरठिया का नगला पुलिस थाना फरह जिला मथुरा यू.पी.
3—भरतसिंह पुत्र सुजानसिंह जाति जाट उम्र 44 साल निवासी तमरोली पुलिस थाना उधोग नगर जिला भरतपुर
4—जवाहर सिंह पुत्र रामखिलाडी जाति जाटव उम्र 48 साल निवासी रारह पुलिस थाना उधोग नगर जिला भरतपुर .....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित :—
1— ए0पी0पी0 प्रथम, पैरोकार प्रार्थी
2— पैरोकार रसद ई0ओ0 प्रार्थी
2—श्री राजवीरसिंह अभिभाषक अप्रार्थी0

आदेश

दिनांक 03.08.2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 इस आश्य का पेश किया जो संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19.12.2021 को प्राप्त सूचना के आधार पर वृताधिकारी वृत ग्रामीण जिला भरतपुर हनुमान तिराहे से आगे आरटीओ चैक पोस्ट के पास सिंह यार्ड की बगल में पहुंचे जहां पर बगल में बनी झोंपडी के पीछे कुछ पेट्रो पदार्थ के जलने की तीव्र बदबू आयी, मोजूद लोग बिटुमिन व असफाल्ट में मिलावट का कार्य कर रहे थे। मौके पर टैंकर नं. 1 यूपी 85 एटी 4923 इंजन नम्बर बी591803251जी63454075 चैसिस नं. MAT541004F3G15081, 2-यू0पी85 वी 9211 इंजन नम्बर 6BTAA5990E62754719 चैसिस नम्बर MAT46637292E06286 3—यूपी 85 पी 9548 इंजन नम्बर 697TC57GTZ131302 चैसिस नं. 444026GTZ125580 एवं मौके पर मोटर साईकिल बजाज सीटी नम्बर आरजे 05जीएस

.....2

0382 व दूसरी मोटर साईकिल एक्स सीडी 125 नम्बर आरजे 05एसएफ 3489 मिली एवं मौजूद लोग व वाहन चालक बिटुमिन व असफाल्ट में मिलावट का कार्य कर रहे थे। दोराने अनुसंधान जप्तशुदा वाहन टैंकर की नाप तोल धर्मकाटा से करवाई गई, दोराने नाप तोल टैंकर नं.–यूपी 85 पी 9548 में 1900 किलोग्राम विटुमन, ट्रक टैंकर नं. यू0पी85 वी 9211 में बिटुमन का बजन 11140 किलोग्रांम, एवं ट्रक टैंकर नं.यूपी 85 एटी 4923 में बिटमुन 870 किलोग्रांम पाया गया हैं। दौराने कार्यवाही अवैध असफाल्ट बिटुमन कुल बजन 13910 को जप्त किया गया। तफतीश पुलिस बयानात गवाहन उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अप्रार्थीण के विरुद्ध द्रवित पैट्रलियम गैस जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाया गया है। प्रकरण में जप्त शुदा टैंकर नम्बर.–यूपी 85 पी 9548, टैंकर नं. यू0पी85 वी 9211, ट्रक टैंकर नं. यूपी 85 एटी 4923, व मोटर साईकिल बजाज सीटी नम्बर आरजे 05जीएस 0382 व दूसरी मोटर साईकिल एक्स सीडी 125 नम्बर आरजे 05एसएफ3489 को राजसात (Confiscate) किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को धारा 6बी ई.सी.एक्ट का नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक राजवीर सिंह ने जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर ए.पी.पी प्रथम ने बताया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की तहत जप्त किये गये बिटुमिन एवं जप्त वाहन को राजसात करने के लिये पेश किया गया है। सहायक लोक अभियोजक का कहना है कि जप्त बिटुमन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत नहीं आता है, इस लिये यह प्रकरण श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आने से मेन्टनेविल नहीं है।

प्रकरण के सम्बन्ध में प्रवर्तन अधिकारी रसद को भी सुना गया। प्रवर्तन अधिकारी रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड–3 के तहत जारी किसी आदेश के द्वारा कोल एवं विटुमिन के प्रदाय को नियत्रित नहीं किया जाता है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि पुलिस थाना सेवर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण धारा 6ए ईसी एक्ट की परिव्यू में नहीं आता है। उनका यह भी तर्क है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र में केवल धारा 6ए ईसी एक्ट का अंकन कर देने मात्र से प्रार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। जप्त किये गये टैंकरों में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जा रही थी, नाहीं जप्त किये गये टैंकरों में कोई मिलावट पाई गई है। धारा 6ए ईसी एक्ट में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस धारा के तहत जप्त की कार्यवाही तभी की जावेगी· जब राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा किसी पदार्थ या वस्तु को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3

.....3

के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये आवश्यक वस्तु की श्रेणी घोषित किया गया हो। बिटुमन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत किसी आदेश के द्वारा नियन्त्रित नही किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष बहस पर गौर किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना सेवर जिला भरतपुर ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत अप्रार्थी0 द्वारा बिटुमन मे मिलावट करते हुये पाये जाने पर जप्त किये बिटुमन एवं वाहन को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। नियमों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 के खण्ड 3 के तहत जारी किसी आदेश के द्वारा कोल एवं विटुमन के प्रदाय को नियत्रित नहीं किया जाता है। भारसाधक पदाधिकारी पुलिस थाना सेवर द्वारा भी अपने कथनों के समर्थन में हमारे समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी/कानून ऐसा पेश नहीं किया गया है जिस में आवश्यक वस्तुअधिनियम 1955 की धारा (3) के तहत जारी किसी आदेश का उंलंघन होना पाया जाना साबित होता हो। सहायक लोक अभियोजक प्रथम ने भी अपनी बहस में इस बात को माना है कि जप्त बिटुमन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत नहीं आता है तथा प्रकरण क्षेत्राधिकार में नहीं होने से मेनटेनवल नहीं है। पैरोकार रसद प्रवर्तन अधिकारी रसद ने भी अपनी बहस में जप्त बिटुमन को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आना स्वीकार किया है। इस प्रकार यह निर्विवाद है कि प्रार्थी द्वारा जप्त विटुमन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की परिधि में नहीं आता है। अस्तु प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 6ए मेन्टनेविल नही होंने काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 6ए खारिज किया जाता है। पुलिस थानाधिकारी सेवर जिला भरतपुर, जप्त विटुमन के सम्बन्ध में अगर कोई offence बनता है तो सक्षम अधिकारी/ सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र हैं।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2023 को सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर